

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.10(39) कृषि/ग्रुप-2/1976/पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 20 JUL 2021

निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय,
जयपुर।

विषय:-भूमि अर्जन के विनिश्चय बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 8(2) के प्रावधानानुसार कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल के गौणमण्डी यार्ड बहरोड़ के विस्तार हेतु ग्राम बहरोड़ तरफ बलराम की आराजी खसरा नम्बर 439 से 444 एवं 482 से 490 कुल किता 15 रकबा 5.60 हैक्टेयर भूमि अर्जन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,



(बृज गुप्ता)
शासन उप सचिव
etc